



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर, कपासन जिला - चित्तौडगढ (राज.)
 (पीठासीन अधिकारी, ग्रामीण सेवा शिबिर 2025 कैम्प स्थल - केरलिया)

धारा अन्तर्गत - 136 प्र.सं. 312/25 तार दिनांक 23/09/2025 निर्णय दिनांक 27/09/2025

क्र.सं..	नाम- ग्राम	स्थान	रिपोर्ट		कार्यालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर कपासन आदेश
1	<u>केरलिया</u>	<u>२१०</u>	महोदय जी, निवेदन है कि मुलाधिक भारत सरकार के फरवरी 2017 परिपत्र से स्टेट बैंक ऑफ वीकनेर एण्ड जयपुर को स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया में मर्ज किया गया। अतः स्टेट बैंक ऑफ वीकनेर एण्ड जयपुर का नाम परिवर्तन कर स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया किया जाना उचित है। मूल ही पत्रावली श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय कपासन को प्रेषित है।		तहसीलदार कपासन की अनुशंसा स्वीकार की जाकर राज. भू.रा. अंश. 1956 की धारा 136 के अधीन अनुसूचर राजस्व रेकार्ड में ग्राम <u>केरलिया</u> प.ह. <u>केरलिया</u> खालास <u>२१०</u> में वर्तमान प्रविष्ट स्टेट बैंक ऑफ वीकनेर एण्ड जयपुर का नाम परिवर्तन कर स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किये जाने का आदेश दिया जाता है।
			वर्तमान प्रविष्टी	शुद्ध प्रविष्टी	
			स्टेट बैंक ऑफ वीकनेर एण्ड जयपुर	स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया	
			हस्ताक्षर पटवारी <u>श. इ. अ. अ. अ.</u>	हस्ताक्षर निरदावर <u>Sharma</u>	हस्ताक्षर व मोहर तहसीलदार

प्रतिलिपि पालनार्थ:-
 1. पटवारी पटवार मण्डल को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रेकार्ड में अमलदरामद करें।

तहसीलदार (भू.अ.) कपासन
 तहसीलदार कपासन
 सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
 कपासन जिला-चित्तौडगढ